संख्या-11/2024/220/23-2-2024/001-34(सा0)/2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2024

विषय:- जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड मिठवल में बभनी घाट से बिमौवा घाट तक राप्ती नदी सेतु निर्माण के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-132 एल0ए0जी0/2023, दिनांक 21.03.2023 एवं जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक-727/त्व0आ0वि0यो0 /2023-24, दिनांक 10.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड मिठवल में बभनी घाट से बिमौवा घाट तक राप्ती नदी सेतु के भूमि अध्याप्ति के कार्य हेतु भूमि क्षेत्रफल 1.02122 हे0 के सापेक्ष लागत रू0 188.98 लाख के प्रारम्भिक आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रू0 188.98 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठासी लाख अट्ठानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जोयगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7)- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8)- लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर,2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022,दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1330-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था-60 भूमि क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-905-एक्स-2023-24, दिनांक: 18 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

संख्या-11/2024/220(1)/23-2-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बांसी, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।